

अ. न. (लो) फ. न. न. य.

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

27/8/15

जयपुर दिनांक 26 AUG 2015

क्र. प.18(6)नविवि / Review / 2014

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय :- जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा टाउनशिप पॉलिसी/अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी/भवन विनियम/जयपुर मास्टर प्लान, 2025 के संबंध में चाहे गये स्पष्टीकरण बाबत।

DIR (CTP)
AEL AG
J. (CTP) (1)
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा टाउनशिप पॉलिसी/अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी/भवन विनियम/जयपुर मास्टर प्लान, 2025 के संबंध में विभिन्न बिन्दुओं पर पत्र क्र. JDA/ACTP-II/14/D-78 दिनांक 05.05.2014 के द्वारा स्पष्टीकरण चाहे गये थे। विचार-विमर्श पश्चात् सक्षम स्तर की स्वीकृति उपरान्त विभिन्न बिन्दुओं पर निम्नानुसार स्पष्टीकरण दिया जाता है :-

क्र.सं.	बिन्दु	स्पष्टीकरण
1.	2 हैक्टर से अधिक क्षेत्रफल की ग्रुप हाउसिंग योजनाओं व अन्य एकल पट्टा प्रकरणों में 5 प्रतिशत भूमि सुविधाओं हेतु आरक्षित रखे जाने के संबंध में।	विद्यमान टाउनशिप पॉलिसी, 2010 में ग्रुप हाउसिंग प्रयोजनार्थ एकल पट्टा जारी किये जाने हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित रखे जाने का प्रावधान है। यही प्रावधान सभी प्रकार की ग्रुप हाउसिंग एवं अन्य एकल पट्टा प्रकरणों पर लागू किया जावे।
2.	विकासकर्ता द्वारा ग्रुप हाउसिंग की योजना में ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. फ्लैट्स प्रयोजनार्थ क्षेत्र आरक्षित रखे जाने पर प्रोत्साहन एफ.ए.आर. दिये जाने के संबंध में।	विकासकर्ता द्वारा ग्रुप हाउसिंग योजना में ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. फ्लैट्स का प्रावधान किये जाने पर विकासकर्ता को 0.50 एफ.ए.आर. प्रोत्साहन स्वरूप दी जायेगी। उपरोक्त एफ.ए.आर. 1.33 + 0.50 = 1.83 बिना बैटरमेन्ट लेवी के देय है। इससे अधिक एफ.ए.आर. प्रस्तावित होने पर बैटरमेन्ट लेवी वसूलनीय है।
3.	अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, 2009 के मॉडल सं. 2 के अन्तर्गत डवलपर कोटा के फ्लैट्स अहस्तान्तरणीय रखे जाने के संबंध में।	डवलपर कोटा के अन्तर्गत फ्लैट्स को विकासकर्ता द्वारा अपने अन्य योजना के लिए आरक्षित रखे जाने अथवा अन्य विकासकर्ता को हस्तान्तरित किये जाने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि डवलपर कोटा के फ्लैट्स अहस्तान्तरणीय है तथा उसी योजना में विकासकर्ता के द्वारा नामित लाभार्थियों को आवंटित किये जायेंगे।

57P(RP) 2-1550
01/9/15

57P(RP) 2-1550
01/9/15

ACTP-II/14/D-78 / STP (CTP) / STP (LI) / STP (MP) //

21/8/15